

अनुस्मारक

संख्या - हि.क./4113/प्रोत्साहन योजना

दिनांक 22/05/2019

सेवामें,

प्रभारी अधिकारी

मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग
(स्थानीय)


विषय : सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना : वर्ष 2018-19.

उक्त विषयक इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 06/06/2018 का अवलोकन करें, जिसके अंतर्गत सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा नकद पुरस्कार प्रोत्साहन योजना इस संगठन में लागू की गई थी तथा इस योजना के अंतर्गत "क" क्षेत्र के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यदि वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 20 हजार शब्द कार्यालयीन कार्य के लिए मूल रूप से हिंदी में लिखते हैं तो इस प्रोत्साहन योजना में भाग ले सकते हैं ।

तदनुसार, इस योजना में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों से कार्यालयीन कार्य का ब्यौरा संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 30/04/2019 तक मुख्य कार्यालय के हिंदी कक्ष में भेजने का अनुरोध किया गया था ।

इस संबंध में आपसे पुनः अनुरोध है कि योजना में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों का कार्यालयीन कार्य का ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र में भरकर दिनांक 30/06/2019 तक मुख्य कार्यालय के हिंदी कक्ष में अवश्य भिजवा दें । साथ ही अनुरोध है कि आपके कार्यालय से यदि कोई कार्मिक इस नकद प्रोत्साहन योजना में भाग नहीं ले रहा है तो शून्य रिपोर्ट अपेक्षित है ।

संलग्न- एक ।



(विनोद कुमार)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

विहित प्रपत्र :

श्री/श्रीमती/कुमारी - - - - - पदनाम - - - - - लेखा

संख्या - - - - - कार्यालय - - - - - का दिनांक

- - - - - को समाप्त होने वाले सप्ताह/माह/वर्ष में हिंदी के मूल कामकाज का विवरण :-

क्र.सं.	तिथि	कुल फाइलों, रजिस्ट्रों आदि की संख्या, जिसमें हिंदी में काम किया गया है	हिंदी में लिखे गए टिप्पण और आलेखन के शब्दों की संख्या	हिंदी में किए गए अन्य काम का संक्षिप्त ब्यौरा	शब्दों की संख्या	उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर सप्ताह में एक बार
1	2	3	4	5	6	7